सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2020

(जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020)

आवदानि जनेभ्यः

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. के पास, झालाना लिंक रोड , जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

www.ric.rajasthan.gov.in

विषय सूची

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	1—2
2.	राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा, बजट एवं अन्य सूचनाएं	3—15
3.	अधिनियम का क्रियान्वयन	16—18
4.	संप्रेषण	19—23
5.	परिशिष्ट—1	24—34

अध्याय – 1

प्रस्तावना

सूचना के अधिकार को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन हेतु अत्यन्त प्रासंगिक व आवश्यक माना गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मूल प्रस्तावना में ही कहा गया है कि **'सूचित नागरिकता' व 'सूचना की पारदर्शिता'** प्रभावी लोकतंत्र हेतु इसलिए अपेक्षित है क्योंकि इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार को मिटाते हुए अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संचालित हो सकेंगे। प्रस्तावना में यह भी बताया गया है कि वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटीकरण को लेकर सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुँचने का जो अर्थ है, उसे लेकर इस अधिनियम के माध्यम से, उसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में परिवर्तित किया जा सकेगा तथा यही वातावरण आगे जाकर प्रशासन को अपेक्षाकृत कुशल कार्य करने, सीमित राजस्व संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करने तथा संवेदनशील सूचना का परीक्षण कर उचित निष्कर्ष निकालने में अधिक कारगर सिद्ध होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अधिनियम को प्रशासन के ताले की चाबी माना है।

शासन में जन–जन की भागीदारी सफल लोकतंत्र का मूलमंत्र है। जन सहभागिता एक ओर जहाँ शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करती है, वहीं उसके दैनन्दिन कार्यकलापों में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देती है। प्रश्न यह है कि जन सहभागिता हो कैसे ? साधारण जनता कैसे समझे कि सरकार उनका पैसा कैसे खर्च कर रही है, सार्वजनिक योजनाएँ कैसे चलाई जा रही हैं, सरकारी फैसले ईमानदारी व निष्पक्षता से किये गये हैं अथवा नहीं ? इसलिए आवश्यक है कि सभी नागरिकों को सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार हो। अधिनियम से यह मान्यता सरकार द्वारा प्रतिबद्धित हुई कि भारत जैसे लोकतंत्र में सभी कार्यकलाप एवं लेखा–जोखा की पारदर्शिता नागरिकों के लिए वैधानिक व्यवस्था बन गई है। अतः आम जनता को सूचना उपलब्ध कराना एक सामान्य कार्य है। हाल के वर्षों में सूचना के अधिकार को सरकारी, गैर सरकारी संगठनों व आम जनता द्वारा मान्यता देने की दिशा में एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति बनी है। नागरिकों को सार्वजनिक नीतियों तथा सरकारी एजेन्सियों द्वारा उनके क्रियान्वयन सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने से समाज सशक्त हुआ है।

भारत में सरकारी संस्थाओं के कामकाज में गोपनीयता प्रभावी तौर पर व्याप्त रही है। इस अधिनियम के बनने से दिशा/भावना एवं मानसिकता में परिवर्तन हुआ है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 में सूचना को सार्वजनिक करना एक दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया था, उसे सूचना के अधिकार अधिनियम ने निष्प्रभावी कर दिया है। पूर्व में सूचना उपलब्ध कराना एक

अपवाद होकर सम्बन्धित अधिकारियों की इच्छाओं पर निर्भर था। इस अधिनियम के उपरान्त आम नागरिकों को शासन व विकास सम्बन्धी विषयों पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। सूचनाओं तक पहुँच के कारण, नीति निर्माण प्रक्रिया को उजागर करने में मदद मिल रही है जिससे भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में नवजीवन का संचार हुआ है।

सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक से अभियान चलाया जा रहा था। वर्ष 2004 में संसद में सूचना अधिकार विधेयक पेश हुआ। 12 मई, 2005 को संसद द्वारा पारित होकर दिनांक 15 जून, 2005 को इसे महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम की धारा 4(1), 5(1), 5(2), 12,13,15,16,24,27 व 28 अविलम्ब प्रभाव में आ गई। इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के 120वें दिन को प्रवृत्त होंगे।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केन्द्र सरकार, सभी राज्य सरकारों, स्थानीय शहरी निकायों, पंचायती–राज संस्थाओं तथा उन सभी निकायों पर, जो सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा स्थापित, गठित, नियंत्रित अथवा वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन हैं, लागू है। कतिपय न्यूनतम अपवादों के साथ सूचना प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जिन सूचनाओं को उपलब्ध कराये जाने से जनहित को नुकसान पहुँच सकता है, उन सूचनाओं को देने से मुक्त रखा गया है। सूचना का अधिकार एक मूलभूत व संवैधानिक अधिकार बन गया है जिसे इस अधिनियम ने विधिक रूप से प्रभावी बनाया है। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् शासन–प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ी है वहीं आम नागरिकों में भी जागरूकता की भावना बलवती हुई है।

अध्याय – 2

राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा, बजट व अन्य सूचनाएं

(अ) गठन :–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के तहत् राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व आवश्यकतानुसार (अधिकतम दस) राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.2006 को किया जाकर राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। राज्य के प्रथम, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी. कौरानी को दिनांक 18.04.2006 को महामहिम राज्यपाल ने पद की शपथ दिलाई। दिनांक 01.09. 2010 को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी. श्रीनिवासन को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा शपथ दिलाई गई। श्री एम.डी. कौरानी का कार्यकाल दिनांक 17.04.2011 को पूर्ण हुआ। तत्पश्चात् द्वितीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी0 श्रीनिवासन को दिनांक 05.09.2011 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने शपथ दिलाई। डॉ. पी.एल. अग्रवाल को माननीय राज्यपाल महोदय ने दिनांक 10.10.2014 को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। द्वितीय मुख्य सूचना आयुक्त श्री टी. श्रीनिवासन का कार्यकाल दिनांक 13.08.2015 को पूर्ण होने के पश्चात् तृतीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री सुरेश चौधरी तथा राज्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री चन्द्रमोहन मीना एवं श्री आशुतोष शर्मा को दिनांक 06.11.2015 को राज्यपाल महोदय द्वारा शपथ दिलाई गई। डॉ. पी.एल. अग्रवाल का कार्यकाल दिनांक 04.08.2016 को पूर्ण हुआ। दिनांक 03.10.2018 को दो सूचना आयुक्त श्री लक्ष्मणसिंह राठौड़ एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद बरवड़ ने पदभार ग्रहण किया। श्री सुरेश चौधरी का कार्यकाल दिनांक 25.12.2018 को पूर्ण हुआ। दिनांक 10.04.2019 को अपना कार्यकाल पूर्ण कर श्री चन्द्रमोहन मीना सूचना आयुक्त पद से कार्यमुक्त हुए। श्री आशुतोष शर्मा का कार्यकाल दिनांक 05.11.2020 को पूर्ण हुआ। मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री डी.बी. गुप्ता, सूचना आयुक्त के रूप में श्री नारायण बारेठ एवं सूचना आयुक्त के रूप में श्रीमती शीतल धनखड़ ने दिनांक 11.12.2020 को कार्यभार ग्रहण किया। आयोग एक वैधानिक निकाय है जो पूर्णतया स्वायत्तशासी है तथा जिसे अपने कार्यों के निष्पादन में किसी अन्य प्राधिकारी से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय जयपुर में है।

(ब) संगठनात्मक ढाँचा:–

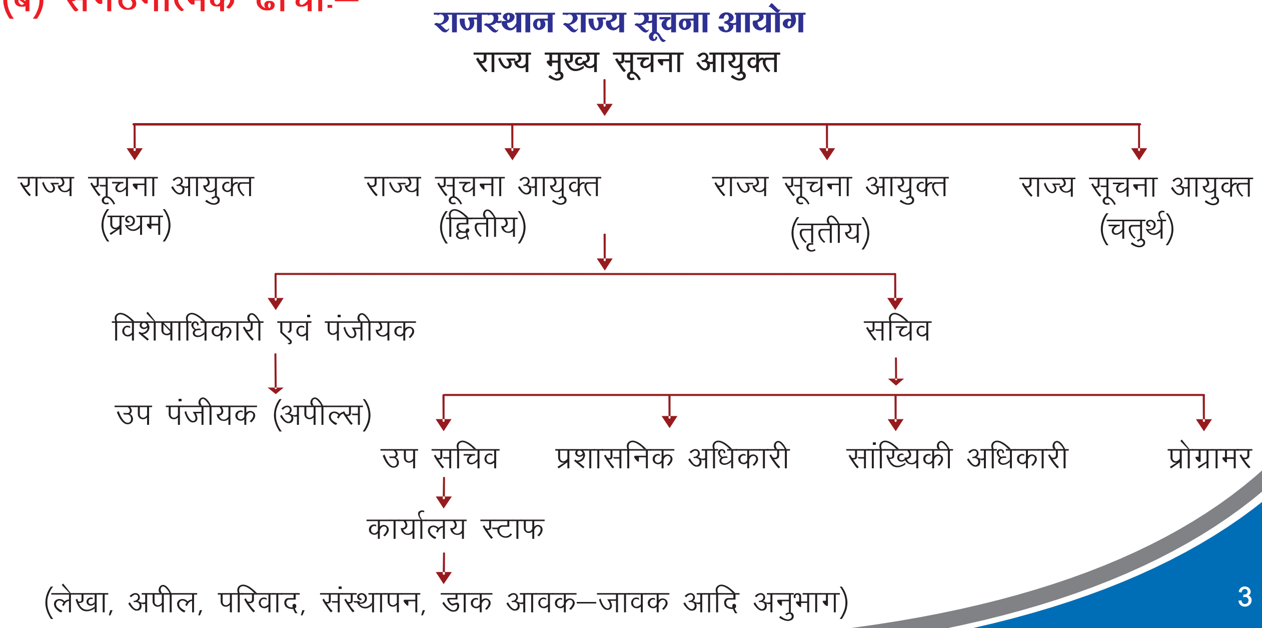

(स) आयोग के कार्य व शक्तियाँ :–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18, 19, 20 एवं 25 में सूचना आयोग के कृत्य एवं शक्तियों का वर्णन है। आयोग नागरिकों से प्राप्त परिवादों की जाँच कर उनको निष्पादित करने, अपील में बतौर अपील अधिकारी निर्णय देने, दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के साथ–साथ अधिनियम की कुशल क्रियान्विति के लिए लोक प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। आयोग के द्वारा अपील/परिवाद पर दिये निर्देश बाध्यकारी हैं। आयोग अधिनियम के क्रियान्वयन का वार्षिक प्रतिवेदन भी राज्य सरकार को प्रेषित करता है, जिसे राज्य सरकार विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करती है।

राज्य सूचना आयोग में निहित शक्तियों का वर्णन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है :–

(1) परिवाद संबंधी शक्तियाँ:– आयोग के समक्ष नागरिक निम्नलिखित बिन्दुओं पर परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं–

(क) राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण वह आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका है या सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उसके सूचना के आवेदन को लेने से इंकार कर दिया है।

(ख) राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उसे आवेदित सूचना देने से इंकार कर दिया है।

(ग) राज्य लोक सूचना अधिकारी से आवेदित सूचना के बारे में निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उससे मांगा जा रहा शुल्क तर्क संगत नहीं है।

(ड) राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना अधूरी, भ्रामक या मिथ्या लगती है।

(च) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अभिलेखों के लिये अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग का जहां यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिये युक्तियुक्त आधार है, वहाँ वह उसके संबंध में जांच आरम्भ कर सकेगा।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग में परिवाद की जांच करते समय आयोग में दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ निहित होने के कारण वह सुनवाई प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित कार्यवाही करने में सक्षम है :–

(क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित करना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियाँ मंगाना;

(ड़) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये समन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग किसी परिवाद की जाँच में लोक प्राधिकरण के नियन्त्रण वाले समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है। किसी भी आधार पर कोई अभिलेख छिपाया नहीं जा सकता, चाहे वह प्रकटीकरण से दी गई छूट की श्रेणी में ही क्यों न सम्मिलित हो।

(2) अपीलीय शक्तियाँ :–

अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्राधिकारी के द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील सुनने का अधिकार धारा 19(3) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग में निहित है।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रथम अपील के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में विनिश्चय प्राप्त किया गया था या निर्धारित समयावधि में विनिश्चय नहीं होने अथवा विनिश्चय से असंतुष्टि की स्थिति में, 90 दिवस के भीतर की जा सकती है। इस अवधि के गुजरने के बाद भी यदि सूचना आयोग अपीलार्थी के द्वारा बताये गये विलम्ब के कारण से संतुष्ट है तो अपील सुनवाई हेतु दर्ज की जा सकती है।

अपील में सुनवाई की कार्यवाही के दौरान जिस लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई की जा रही है, आवेदन की अस्वीकृति के औचित्य के प्रमाणीकरण का भार संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी का होगा।

धारा 19(7) के तहत् सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा।

(3) शास्ति अधिरोपण की शक्तियाँ :–

परिवादों की जाँच के बाद निष्पादन तथा अपील में दिये निर्णय के अन्तर्गत सूचना आयोग को शास्तियाँ अधिरोपित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अपील का निर्णय करते समय यदि संबंधित सूचना आयुक्त की यह धारणा बनती है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना समुचित कारण –

(क) सूचना का आवेदन लेने से मना कर दिया है, या

(ख) निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, या

(ग) सूचना के आवेदन को असद्भावनापूर्वक अस्वीकार कर दिया है, या

(घ) जान–बूझकर अशुद्ध, अधूरी या भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई है, या

(ड़) सूचना के आवेदन की विषय–वस्तु को नष्ट कर दिया है, या

(च) सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा डाली है,

तो वह उस पर आवेदन प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक रुपये 250/– प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकता है जो अधिकतम रुपये 25000/– हो सकती है।

शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व आयोग राज्य लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी पर यह साबित करने का भार होगा कि उसने सूचना उपलब्ध कराने के लिए विवेक एवं परिश्रम से कार्य किया था।

जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी युक्तियुक्त कारण के बिना लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावनापूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो आयोग राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सिफारिश करेगा।

(4) अधिनियम की क्रियान्विति को सुनिश्चित करना :–

अधिनियम की धारा 19(8) के अन्तर्गत अपील का निर्णय करते समय राज्य सूचना आयोग अधिनियम की क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु लोक प्राधिकरण को निम्न निर्देश दे सकता है :–

(1) सूचना उपलब्ध करवाने बाबत्;

(2) राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में;

(3) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करवाने के संबंध में;

(4) अभिलेखों के प्रबन्धन, संधारण, नष्टीकरण की प्रयुक्त प्रथाओं में यथासम्भव परिवर्तन करवाने के संबंध में;

(5) लोक प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार की प्रशिक्षण व्यवस्था करवाने के संबंध में;

(6) अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में अपना एक वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में;

(7) राज्य सूचना आयोग, अपीलार्थी को हुई हानि या क्षति की पूर्ति लोक प्राधिकारी से करवाने के संबंध में;

(8) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में;

(9) आवेदन को नामंजूर करने के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है।

अधिनियम की धारा 25(1) के अन्तर्गत आयोग को अधिनियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त है। आयोग द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। प्रतिवेदन में सामान्यतः निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रस्तुत की जाती है:–

(1) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या

(2) निरस्त किये आवेदनों की संख्या

(3) अपीलों की संख्या एवं उनके परिणाम

(4) एकत्रित शुल्क की धन राशि

(5) अधिनियम की भावना या आशय के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किये गये प्रयत्नों का विवरण

(6) सुधार के लिए सुझाव

यदि किसी लोक प्राधिकरण के द्वारा अधिनियम में प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन करते समय कोई ऐसा कार्य किया जाता है, जो अधिनियम के प्रावधानों या भावना से सुसंगत नहीं है, तो वह अधिनियम की धारा 25(5) के तहत प्राधिकरण को ऐसे कदम उठाने की अभिशंषा कर सकता है जो उसकी दृष्टि में उन्हे सुसंगत बनाने में सहयोग करें।

(5) बजट :—

अयोग को वर्ष 2019—20 के लिए राशि रू. 454.00 लाख (154.00 लाख अप्राप्त राशि) ''ग्रान्ट इन एड'' के रूप में आवंटित की गई है। जिसके विरूद्ध राशि रू. 360.00 लाख का व्यय हुआ। आयोग को वर्ष 2020—21 के लिए राशि रू0 348.00 लाख ''ग्रान्ट इन एड'' के रूप में आवंटित की गई है। जिसके विरुद्ध राशि रू0 348.00 लाख का व्यय हुआ है।

(6) कार्यालय :—

आयोग का कार्यालय, आयोग के गठन से माह अक्टूबर, 06 तक योजना भवन में एवं माह नवम्बर, 06 से हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM RIPA) में कार्यरत रहा। दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 से वित्त भवन, जनपथ में संचालित हुआ तत्पश्चात्, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM RIPA) परिसर में आयोग को आवंटित भूमि (2500 वर्ग मीटर) पर नवीन कार्यालय भवन निर्माण एवं फर्नीचर हेतु राशि 5.60 करोड़ की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हुई। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नवीन भवन का लोकार्पण दिनांक 19.4.2013 को किया गया तत्पश्चात् दिनांक 19.06.2013 से आयोग का कार्यालय स्वयं के भवन में संचालित हो रहा है।

(7) नियमावली :—

राजस्थान राज्य सूचना आयोग के न्यायिक कार्यों के प्रबन्धन के लिए राजस्थान सूचना आयोग (प्रबन्ध) विनियम 2007 बनाये गये हैं।

(8) क्रियान्विति :—

राज्य सूचना आयोग ने अपनी ओर से भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18, 19, 20 व धारा 25 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करते हुए आवश्यक कदम उठाये हैं। राजस्थान में आयोग की स्थापना से लगभग पन्द्रह वर्ष की अवधि में पूरे राज्य में लोक प्राधिकरणों को अधिनियम की भावना के अनुरूप जागृत करने व तद्नुरूप कार्य करवाने में सफलता प्राप्त हुई एवं उसके कार्यकलापों व उसके प्रभावी अस्तित्व की वस्तुस्थिति को जन—जन तक पहुँचाया है। इसी प्रभावशाली प्रचार—प्रसार का ही यह परिणाम रहा कि आज पूरे राज्य में इस अधिनियम के प्रति लोगों

में जागरूकता आई है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के समक्ष 31 दिसम्बर, 2019 को 872 परिवाद एवं 10047 द्वितीय अपीलें लम्बित थी।

वर्ष 2020 (जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020) में ''सूचना के अधिकार'' को लेकर आयोग के सम्मुख प्रस्तुत परिवादों व अपीलों की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :—

परिवादों की मासिक प्रगति का विवरण

माह	माह के दौरान दर्ज परिवादों की संख्या	माह के दौरान निस्तारित परिवादों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष परिवादों की संख्या
31 दिसम्बर, 2019			872
जनवरी, 2020	74	42	904
फरवरी, 2020	45	75	874
मार्च, 2020	21	22	873
अप्रैल, 2020	0	0	873
मई, 2020	9	0	882
जून, 2020	53	0	935
जुलाई, 2020	10	14	931
अगस्त, 2020	30	13	948
सितम्बर, 2020	27	12	963
अक्टूबर, 2020	21	9	975
नवम्बर, 2020	14	9	980
दिसम्बर, 2020	22	34	968
योग	**326**	**230**	

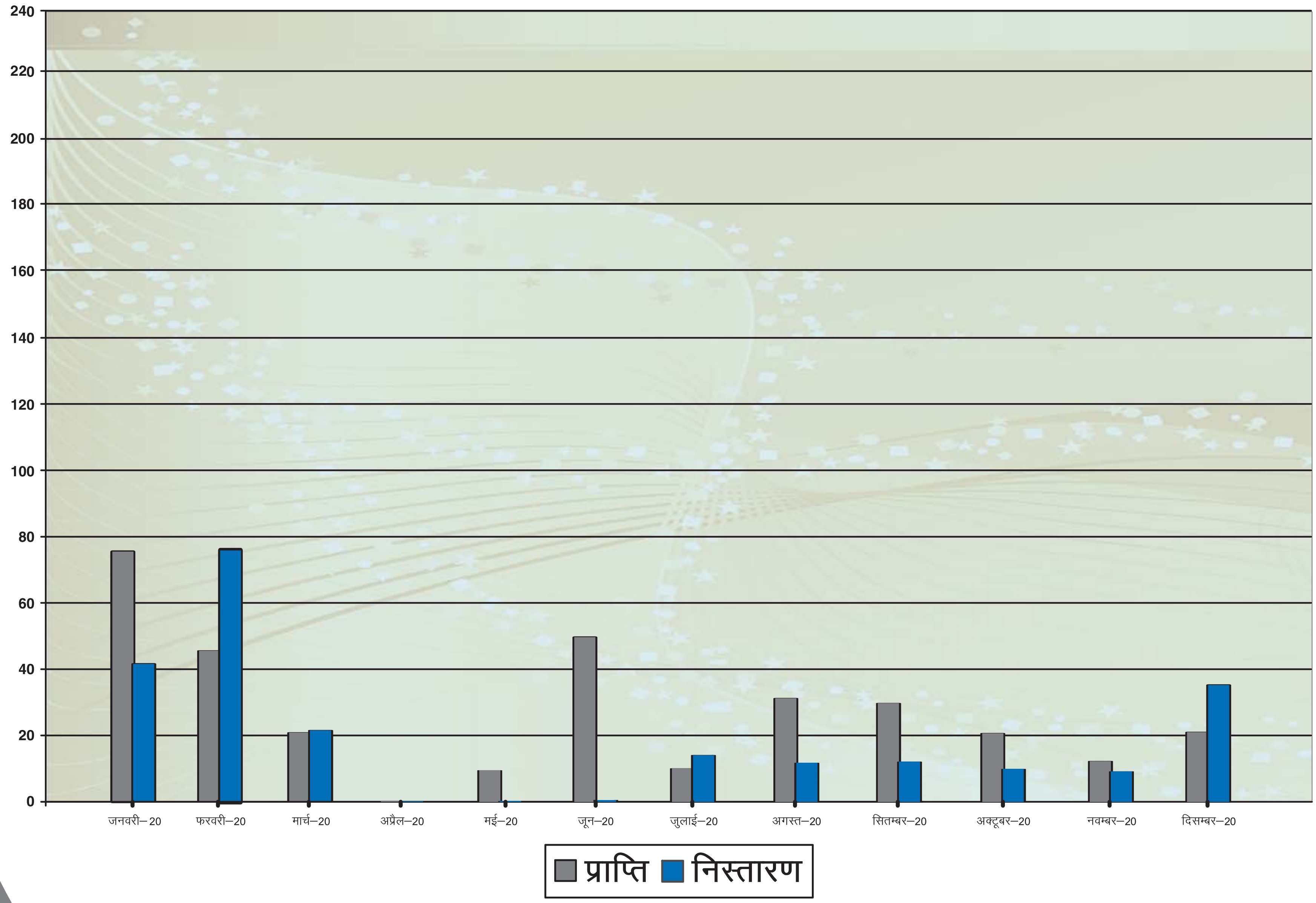
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
जनवरी–20
फरवरी–20
मार्च–20
अप्रैल–20
मई–20
जून–20
जुलाई–20
अगस्त–20
सितम्बर–20
अक्टूबर–20
नवम्बर–20
दिसम्बर–20
प्राप्ति
निस्तारण

परिवादों की प्रगति

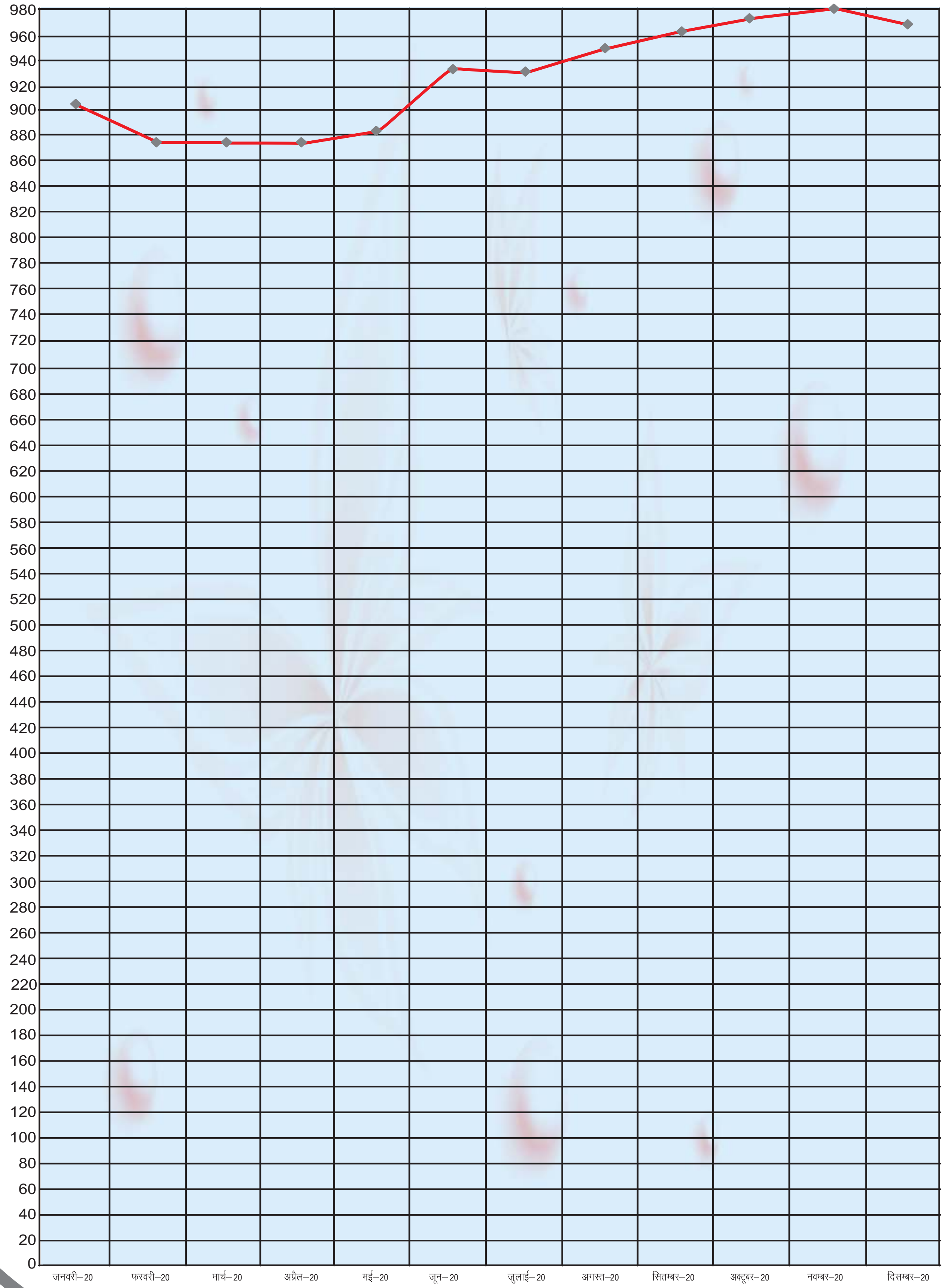

लम्बित परिवादों का विवरण

द्वितीय अपीलों की मासिक प्रगति का विवरण

माह	माह के दौरान प्राप्त अपीलों की संख्या	माह के दौरान निस्तारित अपीलों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष अपीलों की संख्या
31 दिसम्बर, 2019			10047
जनवरी, 2020	1335	726	10656
फरवरी, 2020	792	674	10774
मार्च, 2020	593	345	11022
अप्रैल, 2020	0	0	11022
मई, 2020	301	0	11323
जून, 2020	1238	1	12560
जुलाई, 2020	649	393	12816
अगस्त, 2020	861	607	13070
सितम्बर, 2020	1031	230	13871
अक्टूबर, 2020	834	196	14509
नवम्बर, 2020	786	314	14981
दिसम्बर, 2020	1400	578	15803
योग	**9820**	**4064**	

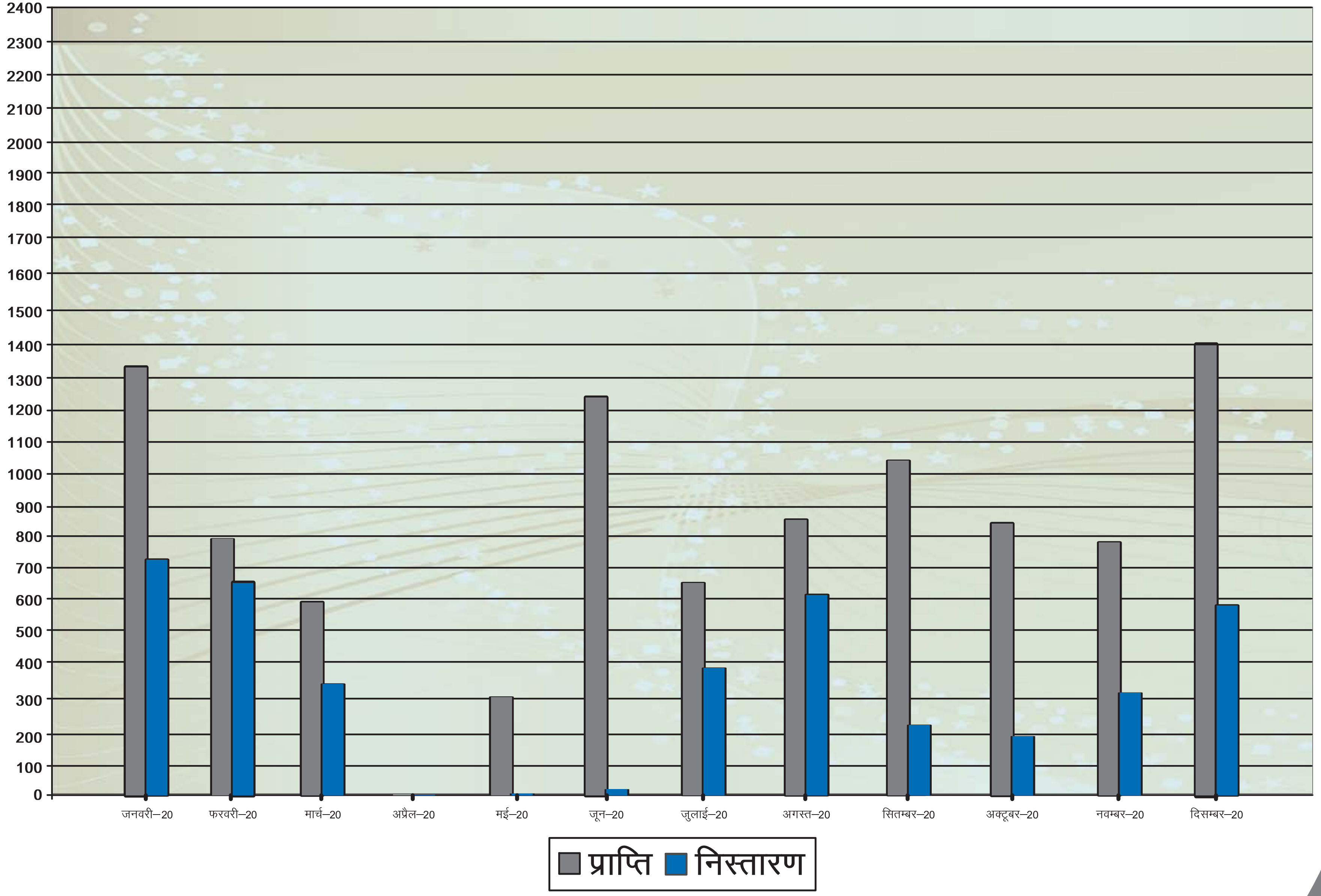

द्वितीय अपीलों की प्रगति

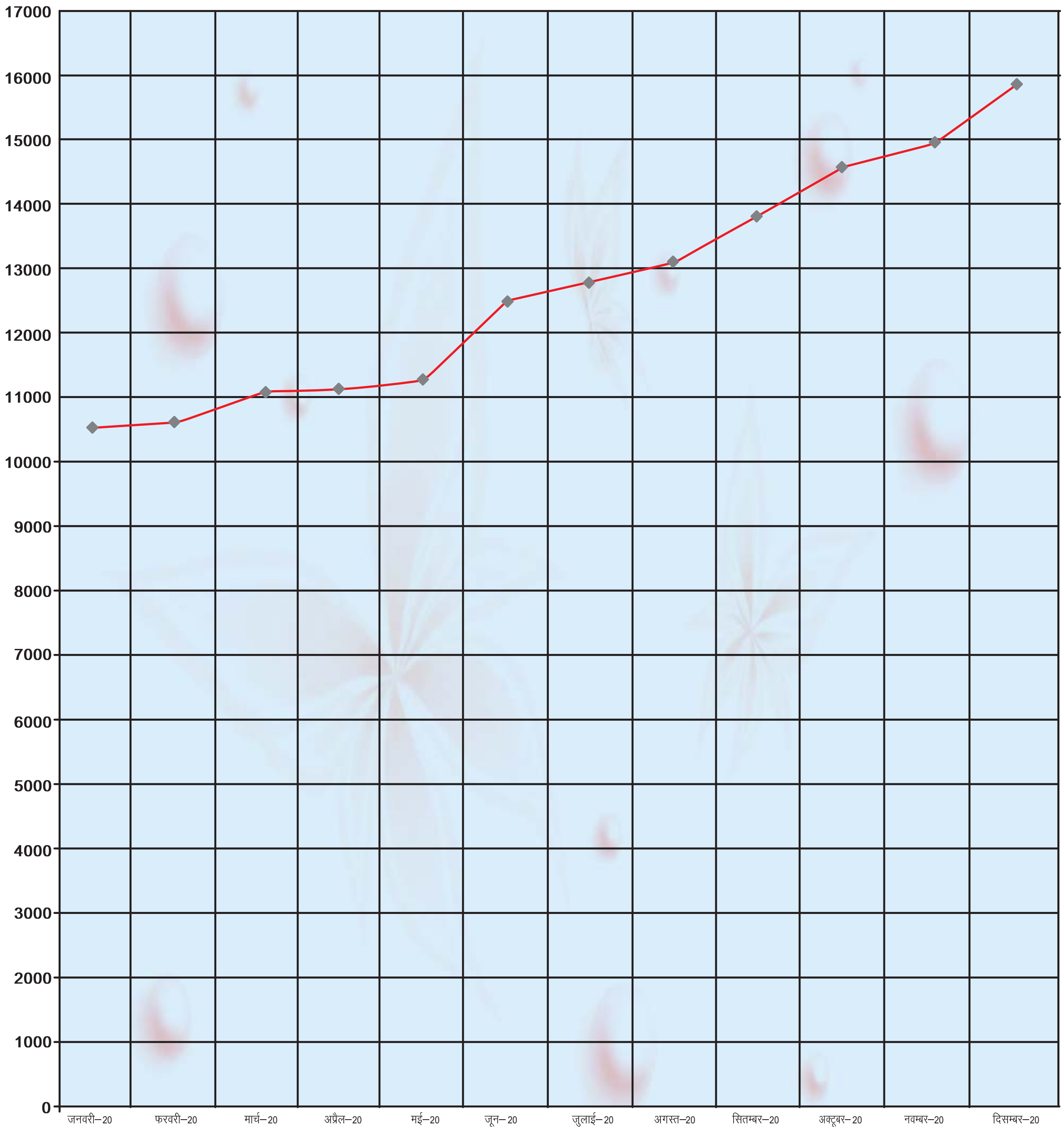

लम्बित द्वितीय अपीलों का विवरण

(9) लोक सूचना अधिकारी :— पदनामित व प्रशिक्षण

राज्य के सभी प्रशासनिक विभागों को अपने—अपने लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलय प्राधिकारियों को पदाभित करने के निर्देश दिये गये। लगभग सभी विभागों/कार्यालयों ने अपने यहाँ राज्य लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपील प्राधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये हैं।

''सूचना के अधिकार'' कानून के विषय को प्रशिक्षण का भाग बनाया है। प्रशिक्षण के मुख्य केन्द्र एच.सी.एम.रीपा, (H.C.M. RIPA) इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (RICEM) व अन्य संस्थाएं हैं, जो विकेन्द्रीकृत रूप से भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं।

(10). शास्ति एवं क्षतिपूर्ति

आयोग द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अधिनियम की भावना के अनुरूप कार्यवाही न करने पर आलोच्य वर्ष 2020 (जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक) में अधिरोपित शास्ति, लगाई गई क्षतिपूर्ति एवं इसके विरुद्ध जमा राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

विवरण	शास्ति (रुपयों में)		क्षतिपूर्ति (रुपयों में)	
	अधिरोपित	प्राप्त राशि	लगाई गई	भुगतान किया गया
1	2	3	4	5
द्वितीय अपील/परिवाद जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020	16,30,500	4,95,500	2,000	1,000
योग	16,30,500	4,95,500	2,000	1,000

शास्ति की प्रभावी वसूली एवं क्षतिपूर्ति के भुगतान कराने हेतु किये जाने वाले प्रयास :–

सूचना आयोग के निर्णयानुसार अधिरोपित शास्ति राशि आयोग में जमा कराने एवं क्षतिपूर्ति राशि का अपीलार्थी को भुगतान करने हेतु विभागों को कई स्मरण पत्र प्रेषित करने के बाद भी राशि जमा नहीं कराई जाती है। अतः उक्त अधिरोपित राशि को आयोग में जमा कराने तथा क्षतिपूर्ति राशि का सम्बन्धित अपीलार्थी को भुगतान कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही के लिये सम्बन्धित लोक प्राधिकरणों को पत्र लिखे गये। प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को शास्ति राशि जमा कराने के संबंध में त्वरित कार्यवाही हेतु समय–समय पर शासकीय/अर्द्धशासकीय पत्र लिखे गये है।

इसके अतिरिक्त शास्ति एवं क्षतिपूर्ति की प्रभावी वसूली/अदायगी हेतु विभिन्न विभागों की ऑडिट के दौरान अंकेक्षण अनुच्छेद (audit para) के रूप में सम्मिलित किये जाने के क्रम में आयोग के सुझाव को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर निर्देश जारी किये गये हैं।

आलोच्य वर्ष 2020 (दिसम्बर, 2020) तक अधिरोपित शास्ति एवं प्राप्त राशि तथा लगाई गई क्षतिपूर्ति एवं क्षतिपूर्ति के भुगतान का विवरण :–

विवरण	अधिरोपित शास्ति	प्राप्त शास्ति	लगाई गई क्षतिपूर्ति	भुगतान की गई क्षतिपूर्ति
1	2	3	4	5
द्वितीय अपील/परिवाद (दिसम्बर, 2020 तक)	4,57,64,250	2,03,49,732	8,75,900	5,42,000

नोट :– इस प्राप्त शास्ति/क्षतिपूर्ति राशि में क्रमशः 4,95,500/– एवं 1,000/– वर्ष 2020 (जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020) की है, शेष राशि पूर्व वर्षों की है।

अध्याय – 3

अधिनियम का क्रियान्वयन

'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्पूर्ण देश में लागू होने के उपरान्त राजस्थान राज्य ने **'राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005'** दिनांक 13.10.2005 को राजपत्र में प्रकाशित कर इसे प्रभावी बनाया। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.2006 को हुआ तथा दिनांक 18.04.2006 को प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी. कौरानी ने पदभार संभाला। आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु रजिस्ट्रार, सचिव व प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति/पदस्थापन हुआ है। प्रशासनिक कार्य की समुचित व्यवस्था, परिवादों व द्वितीय अपीलों की प्राप्ति, सुनवाई व निर्णय प्रक्रिया के साथ ही लेखों का उचित संधारण व अन्य व्यवस्थायें आवश्यकतानुसार प्रारम्भ की गई। प्रारम्भ में आयोग कार्यालय हेतु हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जे0 एल0 एन0 मार्ग, जयपुर के परिसर में अन्तरिम व्यवस्था की गई। आयोग के स्वतन्त्र भवन के निर्माण हेतु झालाना लिंक रोड पर हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान परिसर में राज्य सरकार द्वारा 2500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है जिस पर नवीन भवन निर्मित होने पर आयोग का कार्यालय दिनांक 19.06.2013 को स्वयं के भवन स्थानांतरित किया गया है।

राज्य सरकार व सूचना आयोग के प्रयासों के परिणामस्वरूप सचिवालय स्तर पर उप सचिवों/संयुक्त शासन सचिवों को अपने–अपने विभागों हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है तथा साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को उन पर प्रथम अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। विभिन्न राजकीय विभागों हेतु भी लोक सूचना अधिकारीगणों व उनके अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। निगमों, मण्डलों व स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु वहां के महाप्रबन्धकों/प्रबन्धकों/सचिवों/निदेशकों को राज्य लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है, उनके अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों/प्रशासकों को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी बनाया गया है। नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों हेतु वहां के अधिशासी अधिकारी/आयुक्तगण लोक सूचना अधिकारी हैं, तो वहां के अध्यक्ष/सभापति/महापौर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों हेतु वहां के ग्राम विकास अधिकारी/विकास अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी हैं, तो सरपंच/प्रधान/जिला प्रमुख प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं। सांस्कृतिक केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों, शोध

संस्थानों, राजकीय उपक्रमों तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं हेतु लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति के आदेश प्रसारित किए गए हैं।

सभी सम्बन्धित अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपना नाम–पट्ट ऐसी मुख्य जगहों पर प्रदर्शित करें कि जहाँ प्रत्येक नागरिक को यह ज्ञान हो सके कि उसे कहां और किससे इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करनी है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने रिकार्ड को आदिनांक बनाकर उसका स्वयंमेव प्रकाशन करें व वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें, ताकि सूचना चाहने वाले को कार्यालयों में चक्कर न लगाना पड़ें। कई विभागों ने विस्तृत पुस्तिकायें भी तैयार कर वितरित की हैं जो उनके विभाग के बारे में जनता को व्यापक सूचना उपलब्ध कराती हैं। धारा 4 के अन्तर्गत ऐसा प्रकाशन आवश्यक है। विभागाध्यक्षों का यह कर्तव्य है कि निर्णित आवेदन/अपील एवं विहित अवधि व्यतित होने के पश्चात् भी निर्णय नहीं होने के कारण लम्बित अपीलों के बारे में नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करें।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/लोक प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र, प्रथम अपील व उनके निस्तारण की स्थिति **परिशिष्ट – 1** पर है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुगम बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुँच को सुगम बनाया जा सके।

धारा 4(1) (ख) लोक प्राधिकरणों से व्यापक किस्म की सूचनाओं को स्वैच्छिक रूप से प्रकाशन की मांग करता है, भले ही किसी ने विशिष्ट तौर पर उन सूचनाओं के लिए निवेदन न किया हो। आयोग द्वारा इसकी क्रियान्विति हेतु एवं प्रकट की गई सूचनाओं में एकरूपता लाने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग (नोडल विभाग) द्वारा प्रारूप (template) बनाकर सभी विभागों को प्रेषित किये गये हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू होने के लिये आवश्यक है कि राज्य लोक

सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के बारे में आम नागरिकों को सहज एवं सुलभ जानकारी हो। जिला कलक्ट्रेट प्रत्येक जिले का मुख्य कार्यालय होने तथा जिले के सभी कार्यालयों का व्यावहारिक रूप से समन्वयक कार्यालय होने के कारण उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। इस दिशा में सूचना का अधिकार की जिला निर्देशिका का प्रकाशन महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जिला कलक्टरों से अपेक्षा की जाती है कि वे जिला निर्देशिका बनावें एवं इसे प्रतिवर्ष नियमित रूप से अद्यतन (up-date) करने की कार्यवाही करें।

प्रत्येक राज्य लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में लोक सूचना के आवेदनों की प्राप्ति, निस्तारण एवं अन्य पत्राचार आदि के संधारण का समुचित अभिलेख संधारित होना चाहिये। लम्बित अपीलों/परिवादों आदि में हुये निर्णयों का समुचित अभिलेख भी संधारित होना चाहिये।

सूचना का अधिकार अधिनियम आने के उपरांत वर्षों से व्याप्त गोपनीयता का तानाबाना लिये अधिकारियों की सोच मे परिर्वतन आ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम आने के पश्चात् इस अल्प समय में प्रार्थना पत्रों के निपटारे, अपीलों के निपटारे से तथा आयोग के समक्ष पेश अपीलों और शिकायतों को देखते हुये कहा जा सकता है कि अधिनियम की क्रियान्विति उत्साहवर्धक है।

अध्याय – 4

संप्रेक्षण

सूचना का अधिकार अधिनियम जून, 2005 में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ। इसके पश्चात् लगभग पन्द्रह वर्ष का समय यह अधिनियम देख चुका है। सूचना आयोग स्तर पर आम नागरिकों, अधिकारीगणों व संस्थाओं के प्रतिनिधिगणों के बीच परिवादों/द्वितीय अपीलों की सुनवाई के दौरान तथा बैठकों व अन्य अवसरों पर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों व इसमें निहित व्यवस्थाओं, कठिनाईयों व समस्याओं पर विचारों का आदान–प्रदान होता रहा है। इन्ही चर्चाओं के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

1. अधिनियम के बारे में आम जनता में सामान्य तौर पर एक सकारात्मक सोच व सापेक्ष अवधारणा है। इसे लेकर जनता में नई अपेक्षाएँ व आशाऐं भी जागी हैं। जनता इस अधिनियम को उनके व विभिन्न सरकारी विभागों व संगठनों के बीच आने वाली दैनन्दिन समस्याओं के समाधान की एक कड़ी के रूप में देख रही है।
2. समय के साथ–साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचनाओं की माँग कर रहे हैं।
3. सूचना चाहने वालों को सामान्यतया इस सीमा तक सूचना प्रदत्त कराई जा रही है, जहाँ तक वह चलित पत्रावलियों में उपलब्ध है।
4. सूचना के अधिकार के विषय में अभी जनता को और जागरूक करने की आवश्कता है। इस हेतु कुछ अधिक प्रयास करने होंगे और यह आश्वस्त करना होगा कि साधारण जनता इस अधिनियम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके व लाभ उठावे। इस दिशा में राजकीय स्तर पर और विशेष प्रयास किये जाने चाहिये।
5. राज्य सरकार को इस प्रक्रिया में हर विभागीय स्तर पर लोक सूचना अधिकारीगण की नियुक्ति के बिन्दु पर आश्वस्त होकर यह देखना होगा कि ऐसा प्रत्येक अधिकारी इस क्षेत्र में पूर्णतया प्रशिक्षित भी हो। लगभग पन्द्रह वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अभी हर वांछित स्तर पर लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित नहीं हुआ है। उनकी नियुक्ति से लेकर उनका व्यावहारिक रूप से पूर्णतया प्रशिक्षित होना तथा अन्त में उनकी मानसिकता में इस विषय का सापेक्ष रूप से समावेश

होना आज की पहली आवश्यकता है। सूचना का अधिकार के प्रति सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा सकारात्मक मानसिकता के लिए और प्रेरित किये जाने की आवश्यकता है।

6. राज्य के अनेक लोक सूचना अधिकारीगण तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर तक, जिनका इस अधिनियम के अर्न्तगत कदम उठाने व कार्यवाही करने से संबंध है, इस अधिनियम सम्बन्धी विधिक पुस्तक/पुस्तिकाएँ, साहित्य व अन्य प्रकाशित सामग्री नहीं पहुँच पाई है जिसके अभाव में उनका इस विषय का आदिनांक तक ज्ञान अधूरा सा है। इस हेतु तुरन्त व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

7. यह भी पाया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत जिन लोक सूचना अधिकारीगण से आवश्यक कदम उठाने या कार्यवाही करने की अपेक्षा है, वे इस विषय में स्वयं उचित ध्यान ही नही दे रहे हैं। सामान्यतया वे इस कार्य को अपने कार्यालय के लिपिकों के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें विषय की विधिक बारीकियों का वह ज्ञान नहीं होता, जिसकी इस प्रकार की अर्द्ध न्यायिक प्रक्रियाओं हेतु आवश्यकता होती है। राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी नोटिस पर भी लोक सूचना अधिकारीगण सुनवाई के समय स्वयं उपस्थित नहीं होकर अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रतिनिधि के रूप में भेजते है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं आ रहा है। अतः इस मामलें में गंभीरता बरतने की आवश्यकता है।

8. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी राज्य लोक सूचना अधिकारी से ज्येष्ठ पंक्ति का अधिकारी होता है। व्यवहार से देखने में आया है कि कुछ लोक प्राधिकरणों में पर्याप्त संख्या में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त नहीं हैं। अन्य राजकार्यों में व्यस्तता के कारण ऐसे प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रथम अपीलों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते हैं जिस कारण प्रथम अपीलों में उनके द्वारा दिये जाने वाले निर्णय प्रायः गुणवत्तापूर्ण नहीं होते हैं अथवा उनका निस्तारण निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नहीं हो रहा है। साथ ही प्रथम अपीलों में पारित निर्णयों की समुचित क्रियान्विति नहीं होने से अपीलार्थी को विवश होकर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपीलें/परिवाद दायर करने पड़ रहे हैं। चूंकि प्रथम अपील अधिकारी लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ है। अतः प्रथम अपील का समय पर निर्णय एवं उनके निर्णय की पालना करवायी जाना विभागीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।

9. राज्य सरकार के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम हेतु नोडल विभाग का दायित्व प्रशासनिक सुधार विभाग को दिया गया तथा इसके समुचित पर्यवेक्षण व मोनिटरिंग हेतु इस

विभाग में एक डेडीकेटेड सैल भी गठित किया गया है, जो अधिनियम की क्रियान्विति में आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहा है। इस डेडीकेटेड सैल का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस सैल द्वारा सभी जिलों में जिला कलक्टर कार्यालय में समय–समय पर जिले के अधिकारियों (राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी) की बैठक रखी जावे। बैठक में अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की क्रियान्विति के विषय में अधिनियम के प्रावधानों/भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशों की जानकारी देकर उनकी कठिनाईयों व शंकाओं का समाधान आपसी विचार विमर्श के द्वारा किया जावे, जिससे उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने में सहायता प्राप्त हो व इस कार्य में उनकी मानसिकता में परिवर्तन हो सके। यह सैल निरीक्षण व समीक्षा का कार्य भी करेगा। प्रशासनिक सुधार विभाग ने वेबसाईट पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के साथ–साथ राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों/परिपत्रों को उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त अपील प्राधिकारी व लोक सूचना अधिकारियों के उपयोगार्थ ''हस्तपुस्तिका'' तैयार कर उसे भी उपलब्ध कराया गया तथा यह कार्य निरन्तर किया जा रहा है जिससे अधिकारीगण अधिनियम की भावना के अनुरूप उचित रूप से कार्य कर सकें।

10. अधिनियम की धारा – 4 (1) में यह प्रावधान है कि हर लोक प्राधिकरण न सिर्फ अपने रिकॉर्ड का उचित संधारण करेगा, बल्कि वह उसका स्वैच्छिक रूप में प्रकाशन कर इसे जनता को अवलोकनार्थ उपलब्ध करावेगा। प्रावधान की पालना में अनेकों विभागों ने अपनी ''वेबसाईट'' पर कुछ सूचनाएँ उपलब्ध कराई हैं। परन्तु अभी तक स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है क्योंकि प्रथम तो आम आदमी से जुड़ी अनेक बातों का इन ' वेबसाईट्स ' में समावेश नहीं हो पाया है और दूसरे, इन्हें समय समय पर आदिनांक (अपडेट) करने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। तीसरे, अनेक सूचनाओं को निर्धारित छपे हुए रूप में फार्म में प्रकाशित एवं वितरित नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप जो कुछ बन कर तैयार भी हुआ है वह पत्रावलियों के भीतर ही सिमट कर रह गया है, जानकारी हेतु खुले में नहीं आ पाया है। धारा 4(1) के तहत स्वैच्छिक पारदर्शिता के प्रति सरकारी विभाग अधिक सकारात्मक सक्रिय रहेंगे तो सूचना का अधिकार कानून के प्रयोग की आवश्यकता ही न्यून होगी। इससे पारदर्शिता से सुशासन का उद्देश्य स्वयंमेव ही पूर्ण होगा। प्रदेश में जनसूचना पोर्टल की शुरूआत कर उसमें अधिनियम की धारा 4(2) के तहत राज्य

सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तथा उसमें लाभार्थियों के विवरण को रियल टाईम सार्वजनिक किया जाना अच्छी पहल है। इसमें अन्य सूचनाओं को जोड़कर इसका दायरा बढ़ाना समय की मांग है।

11. अधिनियम की धारा 2 (ज)घ(ii) में उल्लिखित ''गैर सरकारी संगठन'' जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारभूत रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित हैं, वे इसमें प्रावधित व्यवस्थाओं से बंधे हैं। व्यावहारिक रूप में ऐसी अनेक संस्थाऐं हैं जो सरकारी सहायता प्राप्त कर रही हैं। इन संस्थाओं को भी अधिनियम के प्रावधानों की प्रभावी पालना करनी चाहिये।

12. यह कि विभागों द्वारा अपने–अपने ''रिकॉर्ड्स'' का सही रख–रखाव न रखे जाने के परिणामस्वरूप चाही गई सूचनाएँ उपलब्ध करा पाना कठिन हो रहा है और इसी बहाने बहुत सारे प्रार्थना–पत्रों पर सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने से इन्कार किया जा रहा है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगम, आयोग, समितियों आदि के अभिलेखों के सुरक्षित संधारण, प्रबन्धन आदि के लिए राजस्थान में भी भारत सरकार व अन्य कुछ राज्यों में प्रचलित पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट की तरह राजस्थान स्टेट पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट जैसे कानून शीघ्र बनाने का सुझाव है।

जैसे–जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम परिपक्वता की धारणा लिए हुए अधिकारियों व कर्मचारियों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु परिलक्षित हो रहा है एवम् यह अधिकार उन्हें धरातल का अनुभव करा रहा है। जहाँ अधिकारियों की रिकॉर्ड पर पकड़ नहीं है वहाँ अधिकारीगण/कर्मचारीगण इसके लिए प्रयासरत हैं। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में गर्भित उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही व खुलापन में उत्तरोतर विकास होगा, जो प्रजातन्त्र के मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होगा।

13. राजस्थान राज्य सूचना आयोग में मानव संसाधन पर्याप्त नहीं है जिसका प्रभाव इसकी कार्यशैली पर पड़ता है। दिसम्बर, 2020 में आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व चार सूचना आयुक्त सहित 85 पद स्वीकृत है। इनमें से 67 पदों पर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है। 18 पद रिक्त हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005, की धारा 16(6) के अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए

आवश्यक हों। अतः आयोग में बढते कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रभावी कार्य किये जाने हेतु राज्य सरकार को आयोग में कार्मिकों की भर्ती हेतु विशेष भर्ती नियम बनाने हेतु सुझाव दिनांक 15.01.2013 को प्रेषित किये गये हैं जो कि राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं। इनका शीघ्र अनुमोदन राज्य सरकार से अपेक्षित है। साथ ही अंतरिम काल में राज्य सरकार द्वारा रिक्त पदों पर नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिये जिससे आयोग का काम सुगमता से संचालित हों।

14. आयोग द्वारा द्वितीय अपीलों/परिवादों में अधिरोपित शास्ति को जमा कराने की प्रगति अत्यन्त धीमी है। विभागों/लोक प्राधिकरणों से बार–बार पत्राचार करना पड़ता है जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(7) के अन्तर्गत आयोग के आदेश बाध्यकारी हैं। प्रत्येक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियों के पर्यवेक्षणीय अधिकारियों (Supervisory officers) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समीक्षा बैठकों में सूचना का अधिकार अधिनियम के बिन्दुओं को समीक्षा एजेण्डा में शामिल करें। इसके लिये प्रत्येक कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम का लेखा–जोखा रजिस्टर संधारित करने से समीक्षा की सहूलियत रहेगी। साथ ही कार्यालय द्वारा अपीलों के जवाब आदि में भी अवांछित विलम्ब से बचा जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आयोजित जिला कलेक्टर सम्मेलन के एजेण्डा बिन्दु में भी सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति को भी शामिल किया जाना चाहिए। सभी लोक प्राधिकरणों को आयोग द्वारा अधिरोपित क्षतिपूर्ति की राशि स्वतः शीघ्र जमा कराया जाना एवं अधिरोपित शास्ति राशि सम्बन्धित दोषी राज्य लोक सूचना अधिकारी से वसूल कर आयोग में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

सूचना हेतु प्राप्त आवेदन एवं उनके निस्तारण का विवरण वर्ष 2020 (जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020) तक

प्रपत्र—क

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना				वर्ष 2020 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
		कुल संख्या	समयावधि में	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
1	राजस्व मण्डल, अजमेर	364	348	12	4	0	2408
2	समेकित बाल विकास विभाग	1173	1068	50	12	43	30050
3	विभागीय जांच विभाग	10	10	0	0	0	3898
4	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	2272	1647	205	245	175	82323
5	आयुर्वेद विभाग	712	454	206	11	41	26859
6	गृह विभाग	40971	37663	319	2072	917	970218
7	वित्त विभाग	7842	7335	187	65	255	289964
8	पर्यावरण विभाग	36	36	0	0	0	200
9	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	705	701	0	0	4	7140
10	अल्प संख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग	282	203	55	20	4	4650
11	जयपुर विकास प्राधिकरण	6090	3165	1147	896	882	501906
12	ग्रामीण विकास विभाग	183	183	0	0	0	1664
13	राज0 राज्य पाठयपुस्तक मण्डल	28	24	4	0	0	3630
14	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	443	394	38	0	11	6365
15	राज0 राज्य मानवाधिकार आयोग	133	133	0	0	0	4543
16	राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड	6	6	0	0	0	310
17	राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग	96	96	0	0	0	1139
18	आयोजना विभाग	211	128	78	2	3	2694
19	एच.सी.एम. रीपा	20	20	0	0	0	300
20	विधि, विधिक एवं संसदीय कार्य विभाग	164	134	10	20	0	1548
21	उर्जा विभाग	7218	4959	1348	54	857	104304
22	उद्योग विभाग	2011	1796	145	53	17	234248
23	जल संसाधन विभाग	1173	1059	37	71	6	45826
24	तकनीकी शिक्षा विभाग	516	458	40	1	17	19569

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना				वर्ष 2020 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
		कुल संख्या	समयावधि में	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
25	राजभवन, जयपुर	239	239	0	0	0	2278
26	सामान्य प्रशासन विभाग	192	186	0	5	1	7325
27	राजस्थान लोक सेवा आयोग	2704	2235	241	178	50	41500
28	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	73	73	0	0	0	892
29	सहकारिता विभाग	2603	2476	73	30	24	114754
30	राजस्थान आवासन मण्डल	1918	1768	10	96	44	77729
31	कृषि विभाग	1634	1550	44	19	21	52008
32	सार्वजनिक निर्माण विभाग	3045	2799	164	31	51	71049
33	आपदा प्रबन्धन एंव सहायता विभाग	66	62	1	3	0	1428
34	श्रम एवं नियोजन विभाग	621	497	43	29	52	7877
35	पर्यटन विभाग	92	56	35	0	1	1782
36	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	739	686	34	17	2	8662
37	राजस्थान राज्य सूचना आयोग	395	330	0	56	9	3080
38	देवस्थान विभाग	786	684	70	6	26	34614
39	वन विभाग	2106	1730	151	84	141	84608
40	निर्वाचन विभाग	1122	1031	43	28	20	22748
41	राजस्थान राज्य महिला आयोग	51	51	0	0	0	4365
42	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड़	40	40	0	0	0	440
43	कार्मिक विभाग	1117	1073	11	28	5	38358
44	खान एवं पेट्रोलियम विभाग	2149	1634	245	90	180	174949
45	चिकित्सा शिक्षा विभाग	1767	1474	187	54	52	29432
46	परिवहन विभाग	3160	2645	382	43	90	38853
47	कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	348	341	4	0	3	13063
48	स्वायत्त शासन विभाग	19446	13527	2956	1247	1716	259849
49	पशुपालन विभाग	287	133	128	0	26	4412
50	सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	96	82	3	8	3	4947
51	उद्यान निदेशालय	205	179	9	6	11	5134
52	आवासीय आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली	1	1	0	0	0	20

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना				वर्ष 2020 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
		कुल संख्या	समयावधि में	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
53	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	2230	1964	46	192	28	54106
54	सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय	342	320	0	13	9	4785
55	राजस्व विभाग	169	168	0	1	0	5060
56	युवा मामले एवं खेल विभाग	76	17	13	5	41	670
57	लोकायुक्त सचिवालय	195	195	0	0	0	4134
58	नगरीय विकास विभाग (स्वायत शासन विभाग को छोडकर)	10593	6515	1465	994	1619	626113
59	प्रशासनिक सुधार विभाग	581	579	0	2	0	6176
60	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल	678	578	91	9	0	29856
61	उपनिवेशन विभाग	285	230	55	0	0	5925
62	सैनिक कल्याण विभाग	107	101	1	5	0	1394
63	जन अभियोग निराकरण विभाग	157	157	0	0	0	1150
64	आयुक्तालय महिला अधिकारिता	109	103	0	5	1	5283
65	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग	53	49	4	0	0	2418
66	गृह अभियोजन विभाग	160	141	0	17	2	3374
67	संभागीय आयुक्त कार्यालय, जोधपुर	82	81	0	1	0	3648
68	संभागीय आयुक्त कार्यालय, भरतपुर	27	21	0	6	0	3400
69	संभागीय आयुक्त कार्यालय, कोटा	31	23	0	8	0	214
70	संभागीय आयुक्त कार्यालय, अजमेर	143	143	0	0	0	3385
71	संभागीय आयुक्त कार्यालय, उदयपुर	51	49	0	2	0	966
72	जिला कलक्टर कार्यालय, उदयपुर	575	444	39	16	76	13813
73	जिला कलक्टर कार्यालय, बीकानेर	528	512	6	10	0	6032
74	जिला कलक्टर कार्यालय, कोटा	450	369	65	9	7	16353
75	जिला कलक्टर कार्यालय, अलवर	1069	896	48	56	69	11236
76	जिला कलक्टर कार्यालय, बांसवाडा	218	203	4	11	0	3343
77	जिला कलक्टर कार्यालय, बांरा	154	154	0	0	0	1290
78	जिला कलक्टर कार्यालय, भीलवाडा	636	591	25	20	0	22281
79	जिला कलक्टर कार्यालय, बूंदी	247	228	7	0	12	2530
80	जिला कलक्टर कार्यालय, चित्तौडगढ़	324	246	7	37	34	1008

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन कुल संख्या	प्रदत्त सूचना समयावधि में	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	वर्ष 2020 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
81	जिला कलक्टर कार्यालय, चूरू	464	401	45	6	12	7535
82	जिला कलक्टर कार्यालय, दौसा	409	285	30	18	76	3870
83	जिला कलक्टर कार्यालय, धौलपुर	215	211	2	0	2	4292
84	जिला कलक्टर कार्यालय, हनुमानगढ़	367	350	2	15	0	3010
85	जिला कलक्टर कार्यालय, जालौर	1825	1510	57	164	94	51715
86	जिला कलक्टर कार्यालय, झालावाड़	195	184	0	4	7	1935
87	जिला कलक्टर कार्यालय, झुन्झुनू	677	643	20	12	2	6750
88	जिला कलक्टर कार्यालय, करौली	382	369	10	3	0	4230
89	जिला कलक्टर कार्यालय, नागौर	571	449	5	106	11	8013
90	जिला कलक्टर कार्यालय, राजसमन्द	618	562	26	13	17	15660
91	जिला कलक्टर कार्यालय, सवाई माधोपुर	643	612	10	21	0	23842
92	जिला कलक्टर कार्यालय, सीकर	340	325	6	8	1	6605
93	जिला कलक्टर कार्यालय, सिरोही	260	216	36	0	8	3810
94	जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर	499	419	7	50	23	8273
95	जिला कलक्टर कार्यालय, टोंक	431	409	0	21	1	7854
96	जिला कलक्टर कार्यालय, प्रतापगढ़	326	322	0	4	0	5095
		148153	**121946**	**10847**	**7448**	**7912**	**4454344**

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील एवं उनका निस्तारण वर्ष 2020 (जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020)

प्रपत्र –ख

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व मण्डल, अजमेर	38	7	14	17
2	समेकित बाल विकास विभाग	149	119	28	2
3	विभागीय जांच विभाग	1	0	1	0
4	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	349	320	21	8
5	आयुर्वेद विभाग	293	80	208	5
6	गृह विभाग	2370	606	1696	68
7	वित्त विभाग	1093	890	102	101
8	पर्यावरण विभाग	3	3	0	0
9	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	56	56	0	0
10	अल्प संख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग	30	16	14	0
11	जयपुर विकास प्राधिकरण	896	351	403	142
12	ग्रामीण विकास विभाग	2	2	0	0
13	राज0 राज्य पाठयपुस्तक मण्डल	4	4	0	0
14	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	76	9	67	0
15	राज0 राज्य मानवाधिकार आयोग	17	17	0	0
16	राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड	6	6	0	0
17	राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग	4	4	0	0
18	आयोजना विभाग	8	8	0	0
19	एच.सी.एम. रीपा	2	2	0	0
20	विधि, विधिक एवं संसदीय कार्य विभाग	23	3	20	0
21	उर्जा विभाग	1004	645	225	134
22	उद्योग विभाग	181	132	47	2
23	जल संसाधन विभाग	125	102	22	1
24	तकनीकी शिक्षा विभाग	83	74	7	2
25	राजभवन, जयपुर	39	0	39	0

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
26	सामान्य प्रशासन विभाग	19	19	0	0
27	राजस्थान लोक सेवा आयोग	283	202	76	5
28	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	13	13	0	0
29	सहकारिता विभाग	142	132	7	3
30	राजस्थान आवासन मण्डल	150	46	104	0
31	कृषि विभाग	147	94	27	26
32	सार्वजनिक निर्माण विभाग	201	168	26	7
33	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	15	0	15	0
34	श्रम एवं नियोजन विभाग	172	94	21	57
35	पर्यटन विभाग	11	8	3	0
36	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	47	38	6	3
37	राजस्थान राज्य सूचना आयोग	105	75	30	0
38	देवस्थान विभाग	76	36	35	5
39	वन विभाग	302	177	107	18
40	निर्वाचन विभाग	94	43	16	35
41	राजस्थान राज्य महिला आयोग	1	0	1	0
42	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड़	3	3	0	0
43	कार्मिक विभाग	148	99	49	0
44	खान एवं पेट्रोलियम विभाग	213	59	51	103
45	चिकित्सा शिक्षा विभाग	182	117	61	4
46	परिवहन विभाग	329	318	2	9
47	कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	39	33	1	5
48	स्वायत्त शासन विभाग	2322	1045	452	825
49	पशुपालन विभाग	33	19	9	5
50	सिंचित क्षैत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	17	11	6	0
51	उद्यान निदेशालय	8	6	1	1
52	आवासीय आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली	0	0	0	0
53	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	248	138	104	6

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
54	सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय	112	111	0	1
55	राजस्व विभाग	29	29	0	0
56	युवा मामले एवं खेल विभाग	12	4	2	6
57	लोकायुक्त सचिवालय	22	0	0	22
58	नगरीय विकास विभाग(स्वायत शासन विभाग को छोडकर)	1147	490	489	168
59	प्रशासनिक सुधार विभाग	58	53	5	0
60	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल	62	47	15	0
61	उपनिवेशन विभाग	76	42	34	0
62	सैनिक कल्याण विभाग	6	4	2	0
63	जन अभियोग निराकरण विभाग	5	5	0	0
64	आयुक्तालय महिला अधिकारिता	6	2	4	0
65	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग	2	2	0	0
66	गृह अभियोजन विभाग	20	8	12	0
67	संभागीय आयुक्त कार्यालय, जोधपुर	5	1	4	0
68	संभागीय आयुक्त कार्यालय, भरतपुर	2	2	0	0
69	संभागीय आयुक्त कार्यालय, कोटा	4	2	2	0
70	संभागीय आयुक्त कार्यालय, अजमेर	6	1	5	0
71	संभागीय आयुक्त कार्यालय, उदयपुर	4	1	3	0
72	जिला कलक्टर कार्यालय, उदयपुर	108	38	65	5
73	जिला कलक्टर कार्यालय, बीकानेर	146	47	99	0
74	जिला कलक्टर कार्यालय, कोटा	34	27	5	2
75	जिला कलक्टर कार्यालय, अलवर	200	100	76	24
76	जिला कलक्टर कार्यालय, बांसवाडा	14	2	12	0
77	जिला कलक्टर कार्यालय, बांरा	12	4	8	0
78	जिला कलक्टर कार्यालय, भीलवाडा	123	9	114	0
79	जिला कलक्टर कार्यालय, बूंदी	26	2	19	5
80	जिला कलक्टर कार्यालय, चित्तौडगढ़	138	44	91	3
81	जिला कलक्टर कार्यालय, चूरू	80	13	26	41

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
82	जिला कलक्टर कार्यालय, दौसा	59	23	30	6
83	जिला कलक्टर कार्यालय, धौलपुर	27	17	0	10
84	जिला कलक्टर कार्यालय, हनुमानगढ़	74	34	40	0
85	जिला कलक्टर कार्यालय, जालौर	140	101	32	7
86	जिला कलक्टर कार्यालय, झालावाड	4	0	4	0
87	जिला कलक्टर कार्यालय, झुन्झुनू	73	7	62	4
88	जिला कलक्टर कार्यालय, करौली	69	4	63	2
89	जिला कलक्टर कार्यालय, नागौर	83	46	37	0
90	जिला कलक्टर कार्यालय, राजसमन्द	76	57	17	2
91	जिला कलक्टर कार्यालय, सवाई माधोपुर	90	27	63	0
92	जिला कलक्टर कार्यालय, सीकर	102	12	81	9
93	जिला कलक्टर कार्यालय, सिरोही	74	50	0	24
94	जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर	205	19	71	115
95	जिला कलक्टर कार्यालय, टोंक	58	15	42	1
96	जिला कलक्टर कार्यालय, प्रतापगढ	33	17	14	2
		15798	**7968**	**5772**	**2058**

विभाग/लोक प्राधिकरण जिनसे आंशिक/अपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है वर्ष 2020 (जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020)

प्रपत्र –ग

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना				वर्ष 2020 में प्राप्त राजस्व
		कुल संख्या	समयावधि में	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
1	नगर निगम, जयपुर	4	3	0	0	1	72
2	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	7077	5086	976	449	566	120889
3	शिक्षा विभाग	5680	4086	512	259	823	74481
	योग	**12761**	**9175**	**1488**	**708**	**1390**	**195442**

प्रथम अपील वर्ष 2020 (जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020)

क्र.सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णित		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	नगर निगम, जयपुर	0	0	0	0
2	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	326	249	77	0
3	शिक्षा विभाग	1102	916	116	70
	योग	**1428**	**1165**	**193**	**70**

विभाग/लोक प्राधिकरण जिनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई है
वर्ष 2020 (जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020)

प्रपत्र –घ

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना				वर्ष 2020 में प्राप्त राजस्व
		कुल संख्या	समयावधि में	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
1	उच्च शिक्षा विभाग						
2	संस्कृत शिक्षा विभाग						
3	पंचायतीराज विभाग						
4	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग						
5	संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर						
6	संभागीय आयुक्त कार्यालय, बीकानेर						
7	जिला कलक्टर कार्यालय, अजमेर						
8	जिला कलक्टर कार्यालय, जयपुर						
9	जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर						
10	जिला कलक्टर कार्यालय, भरतपुर						
11	जिला कलक्टर कार्यालय, बाडमेर						
12	जिला कलक्टर कार्यालय, डूंगरपुर						
13	जिला कलक्टर कार्यालय, जैसलमेर						
14	जिला कलक्टर कार्यालय, पाली						